

[TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH  
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054


Dated 31.05. 2017

**NOTIFICATION**

**NO.F.DE.23(66)/RTE/2017/1336-1350** . – In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called The Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 in Part VII under the heading of Curriculum and Completion of Elementary Education, for clause (c), in sub-rule 2 of rule 21, the following clauses shall be substituted, namely:-  
“(c) prepare class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes; and  
(d) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation to achieve the defined learning outcomes.”

**By Order and in the Name of Lt.  
Governor of National Capital  
Territory of Delhi,**

  
**(MARCEL EKKA)  
Additional Secretary (Education)**

Copy to:-

1. Secretary, Ministry of HRD, Government of India.
2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Government of NCT of Delhi.
3. OSD to Chief Minister, Government of NCT of Delhi.
4. OSD to Minister of Education, Government of NCT of Delhi.
5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
6. Secretary (Education), Government of NCT of Delhi.
7. Director of Education, Government of NCT of Delhi.
8. Director(s) (Education), Municipal Corporation of Delhi (East/North/South).
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
11. Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi.
12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Directorate of Education, Government of NCT of Delhi.
13. All Branch In charges, Directorate of Education, Government of NCT of Delhi.
14. OS (IT) with the request to place it in the website of Directorate of Education.
15. Guard File.



**(MARCEL EKKA)**  
**Additional Secretary (Education)**

(दिल्ली राजपत्र भाग- IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय : शिक्षा का अधिकार शाखा  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.


दिनांक: 31.05.2017

अधिसूचना

सं0फा0 डी.ई. 23 (66)/आरटीई/2017/1336-1350 - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) नियमावली 2017 कहा जायेगा ।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
2. दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण के शीर्षक के अन्तर्गत भाग VII में नियम 21 के उप- नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-  
(ग) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिये कक्षावार, विषयवार शिक्षण परिणाम तैयार, तथा  
(घ) निर्धारित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अभ्यास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम  
पर



(मार्शल एक्का)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

सं0फा0 डी.ई. 23 (66)/आरटीई/2017/1336-1350 दिनांक: 31.05.2017

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम (पूर्व/उत्तर/दक्षिण)।
9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
15. गार्ड फाईल।

जाह्नविका

(मार्शल एक्का)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)